5 रु. भारत पाँच रुपये | Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

निगरानी 2360-I-15

T.P.

न्यायालय श्रीमान् सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
क्षेत्र सागर, संभाग सागर म.प्र.

1. प्रेमप्रकाश तनय बाबूलाल पटेल
2. शिवप्रसाद तनय बाबूलाल पटेल,
दोनों निवासी ग्राम खिमलासा तह0खुरई जिला सागर.

----निगरानीकर्तागण

दिनांक 25.7.15 को श्री प्रेमप्रकाश कार्यवाहक स्वयं द्वारा प्रस्तुत/

विरुद्ध

1. भगवान दास पिता मुन्ने पटेल
निवासी ग्राम खिमलासा तह0खुरई जिला सागर.

25.7.15
SO

2. म0प्र0 शासन

----प्रतिनिगरानीकर्तागण

आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता :-

निगरानीकर्तागण, यह निगरानी न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त कमिश्नर महोदय सागर, संभाग सागर के अपील प्र0क्र0 340/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दि0 26 मई, 2015 से परिवेदित होकर सबल आधारों पर यह याचिका/निगरानी श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि, ~~निगरानीकर्ता~~ प्रतिनिगरानीकर्ता क्र0एक द्वारा नायब तहसीलदार मण्डल खिमलासा तह0खुरई के समक्ष रा0प्र0क्र0 91/6-अ वर्ष 2003-04 में अभिलेख दुरुस्ती बाबत् आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था, उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी से स्थल निरीक्षण एवं पटवारी प्रतिवेदन आहूत कर उक्त प्रतिवेदन पर प्रभावित पक्षकारों के समक्ष हस्ताक्षर ~~कराकर~~ अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त प्रतिवेदन से असहमत होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिनिगरानीकर्ता के

..2.

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2360/I/15 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.3.16	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता ने दि 6.1.16 को बताया है कि उनके द्वारा तह. रहली के समक्ष, दि 11-8-15 को आवेदन दिया गया है किन्तु उन्हें इस बात की आशंका है कि तह. अनावेदक के बिन्दुओं पर विचार करेंगे, उनके बिन्दुओं पर नहीं। उन्होंने अपनी इस आशंका का कोई स्पष्ट आधार नहीं बताया है। अपर आयुक्त, सागर ने आक्षेपित आदेश दि 26.5.15 से विचारण न्या. तहसील के पूर्व आदेश दि. 10-11-04 का निरस्तीकरण सही पाया है और अन्यपक्ष को रिकार्ड दुरुस्ती हेतु आवेदन, यदि वे चाहें तो, विचारण न्या. के समक्ष करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के अनुक्रम में चूंकि आवेदक ने (उसके बताए अनुसार) तहसीलदार के समक्ष आवेदन लगा दिया है, और चूंकि अधीनस्थ न्या. द्वारा प्रकरण में विचार किया जा रहा है, अतः मैं इस प्रक्रम पर रा. मं. में प्रकरण पर साथ-साथ विचार करना उपयुक्त नहीं समझता हूँ। अतः यह निगरानी आवेदन	

R 2360/1/15

स्थान तथा दिनांक | ३.५.२०१६ | कार्यवाही तथा आदेश ग्रहणपत्र | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

इसी प्रक्रम पर अग्राह्य करते हुए तहसीलदार, खुरई को यह निर्देश देता हूँ कि वे उक्त आवेदन के अनुक्रम में उभयपक्ष एवं समस्त हितबद्ध पक्षकारों को समुचित पक्षसमर्थन का अवसर देने के बाद, प्रकरण के समस्त बिन्दुओं और पहलुओं को विचार में लेते हुए, बोलते स्वरूप का स्पष्ट निर्णय पारित करें ताकि प्रकरण में आगे वाद की स्थिति अनावश्यक रूप से उत्पन्न न हो।

इसी के साथ यह प्रकरण रा.मं. से समाप्त किया जाता है।

पक्षकार एवं तह. खुरई सूचित हों।

आदेश पारित। प्रकरण समाप्त। दा.द. हो।

3.3.16